कूड़ा उठाव व पानी की नयी दरें

P.K. 23-5-13

नगर विकास विभाग की अधिसूचना जारी, घर, दुकान, उत्सव हॉल दायरे में

संवाददाता ■ पटना

नगर विकास विभाग ने राज्य भर में नगर निगम, नगर पर्षद व नगर पंचायत क्षेत्र में कूड़ा उठाव व जलापूर्ति की दरों में बढ़ोतरी की है. विभाग ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की और नगर निकायों को पत्र भेजा. नगर निकायों के बोर्ड से पारित होने के बाद नयी दरें लागू हो जायेंगी.

अब अधिक पानी का उपयोग किया, तो अधिक राशि देनी होगी. 25 किलो लीटर प्रति माह पानी के लिए प्रति किलो लीटर 15 रुपये देने होंगे. नगर निगम क्षेत्र में आवासीय घरों से प्रति घर कूड़ा उठाने का शुल्क 30 रुपये प्रति माह लिया जायेगा. नगर पर्षद क्षेत्र में 25 रुपये व नगर पंचायत क्षेत्र में 20 रुपये लिये जायेंगे. दुकान, ढाबा व मिठाई दुकान आदि को नगर निगम क्षेत्र में 100 रुपये, नगर पर्षद में 75 व नगर पंचायत क्षेत्र में 50 रुपये प्रति माह देने होंगे. गरीबों से कूड़े के लिए राशि नहीं ली जायेगी. सितारा होटलों से तीनों क्षेत्रों में पांच हजार रुपये कूड़ा उठाव के लिए लिये जायेंगे. आवासीय मकान से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना देना होगा. भवन निर्माण सामग्री या मलबा सड़क पर फेंका, तो एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा. जुर्माना जमा नहीं करने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली होगी. बकाया की स्थिति में जलापूर्ति कनेक्शन कटने पर फिर जुड़वाने के लिए 2500 रुपये देने होंगे.

किस सेवा के लिए देने होंगे कितने पैसे

	नगर निगम	नगर पर्षद	नगर पंचायत
कूड़ा उठाव			
आवासीय प्रति घर	30	25	20
मलिन व बीपीएल	शून्य	शून्य	शून्य
गैर आवासीय			
फुटपाथी प्रति ढाबा व मिठाई दुकान	100	75	50
रेस्टोरेंट, धर्मशाला गेस्ट हाउस	500	250	150
सितारा होटल व समतुल्य होटल	5000	5000	5000
कोचिंग क्लासेज बीमा कार्यालय	500	250	150
क्लिनिक	250	150	100
अस्पताल 50 बेड	1500	1200	1000
अस्पताल 50 से अधिक बेड	3000	2000	1500
लघु व कुटीर उद्योग	500	300	200
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज	1000	750	500
शादी हॉल, मेला	2500	1500	1000

	नगर निगम	नगर पर्षद	नगर पंचायत
जलापूर्ति			
अपार्टमेंट आधा इंच पाइप	80	60	40
आधा इंच से अधिक	120	90	60
स्वतंत्र मकान या बंगला (आधा इंच)	120	90	60
आधा इंच से अधिक	240	180	120
एक इंच	1900	1400	900
वाणिज्यिक व सरकारी संस्था			
आधा इंच से अधिक	4200	--	--
दो इंच	8400	--	--
तीन इंच	16500	--	--
चार इंच	32000	--	--
छह इंच	60000	--	--
नया जलापूर्ति कनेक्शन			
बहुमंजिली इमारत व मकान (आधा इंच)	2000	1000	500
वाणिज्यिक संस्था (आधा इंच से अधिक)	10000	5000	2000

जल उपभोग की मात्रा के आधार पर शुल्क

जल की मात्रा	प्रति किलो लीटर	जल की मात्रा	प्रति किलो लीटर
25 किलो लीटर तक	15 रुपये	50 किलो लीटर से 100 तक	35 रुपये
25 किलो लीटर से 50 तक	25 रुपये	100 किलो लीटर से 500 तक	50 रुपये

(मासिक शुल्क रुपये में)

देना होगा दंड

सड़क पर कूड़ा फेंका (आवासीय मकान से)	100 रुपये
भवन निर्माण या मलबा रखने पर	1000 रुपये

प्रतिमाह 25 किलो लीटर पानी उपयोग करने पर 15 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से लगेगा शुल्क

सितारा होटलों से प्रतिमाह पांच हजार रुपये कूड़ा उठाने का शुल्क

गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों को मुफ्त मिलेगी सुविधा

नगर विकास विभाग ने लागू की नयी दरें

कैसे होगा लागू

- नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा जायेगा प्रस्ताव
- सशक्त स्थायी समिति से पारित होने पर बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा
- बोर्ड से पारित होने के बाद होगा लागू